अरविंद सिंह सांगवान न्यायाधीश के सामने

डॉ. अनिल बंसल-याचिकाकर्ता

बनाम

जिला समुचित प्राधिकारी, गुरूग्राम- प्रतिवादी

सीआरएम-एम नंबर **2018** का **18417.**

24 फरवरी 2020

गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीकें **(**लिंग चयन प्रतिषेध**)** अधिनियम, **1994-**धारा **3, 3**ए, **4, 5, 6, 17, 23, 29, 30** और आर.एल. **9** और **12**—दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973-** स.**482**—शिकायत को रद्द करना और समन आदेश—शिकायत प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता-एक योग्य रेडियोलॉजिस्ट और के खिलाफ दायर किया गया पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत **-** ट्रायल कोर्ट उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया**-** दाखिल खारिज **-** अनुमति दी गई **-** आयोजित **–** पीएनडीटी टीम वैध रूप से गठित नहीं है क्योंकि तीसरे सदस्य ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं धारा **17-**नियुक्त करने वाली टीम का आदेश केवल अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित-उपयुक्त प्राधिकारी की ओर से चूक के कारण प्रक्रिया दूषित हो गई है असाध्य दोष-धारा **30** एवं नियम **12** के अंतर्गत प्रक्रिया का भी पालन नहीं**-** याचिकाकर्ता को स्पॉट और जब्ती मेमो नहीं दिए गए**-** शिकायत जिला नोडल अधिकारी द्वारा दायर किया गया, न कि जिला उपयुक्त द्वारा प्राधिकारी**-** शिकायत एवं सम्मन आदेश निरस्त।

माना गया कि: (ए) दिनांक 12.09.2016 के पत्र का अवलोकन, जो गठित करता है अध्यक्ष, डीएए-सह-सिविल सर्जन, झज्जर द्वारा एक पीएनडीटी टीम, इससे साफ पता चलता है कि इस पर दो सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, तीसरे के नहीं सदस्य अर्थात सदस्य, डीएए-सह-डीपीओ (डब्ल्यूसीडी), झज्जर, इसलिए, यह पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम की धारा 17 के अनुसार वैध रूप से गठित जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है।

(बी) डीएए-सह-सिविल सर्जन, अध्यक्ष गुरुग्राम द्वारा जारी एक अन्य आदेश दिनांक 12.09.2016 का अवलोकन भी, तीन सदस्य की नियुक्ति पीएनडीटी टीम से पता चलता है कि यह उनके एकमात्र हस्ताक्षर के तहत किया गया था और अन्य दो सदस्यों द्वारा नहीं। उप सिविल सर्जन सह-पीएनडीटी नोडल अधिकारी का उत्तर/शपथ पत्र में इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए, डॉ. रितु प्रभाकर के मामले में फैसले के मद्देनजर गुरुग्राम मामले (सुप्रा) में, चूक के कारण पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है दोनों जिला समुचित प्राधिकारियों का भाग एक निररूपाय दोष है।

(सी) इसके अलावा, पीसी की धारा 30 और पीएनडीटी अधिनियम नियम 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पठित, स्पॉट और जब्ती मेमो की प्रतियां, यदि मौके पर तैयार की जाती हैं, उन व्यक्तियों को प्रदान करना अनिवार्य है जिनसे तथापि, वसूली प्रभावी हो जाती है। आक्षेपित शिकायत के अवलोकन साथ ही कोर्ट में दाखिल जवाब में कहीं भी यह प्रक्रिया का पालन किया गया नहीं दिखता और टीम द्वारा तैयार की गई

सूची की एक प्रति हमेशा उपलब्ध थी याचिकाकर्ता को आपूर्ति की गई, हालांकि शिकायत के पैरा 7 में यह कहा गया है मौके पर ही स्पॉट और जब्ती मेमो तैयार किए गए लेकिन उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को कभी आपूर्ति नहीं की गई। इससे प्रक्रिया भी ख़राब होती है जिसे शिकायतकर्ता द्वारा अपनाया गया।

(डी) प्रावधानों के अनुसार, शिकायत जिला के उपयुक्त प्राधिकारी, जिसमें तीन सदस्य होते हैं द्वारा दर्ज की जानी है, जबकि आक्षेपित शिकायत जिला नोडल अधिकारी द्वारा दायर की गई है। यह है ईश्वर सिंह यादव के मामले (सुप्रा) में इसलिए न्यायालय ने यह भी माना कि, जिला समुचित प्राधिकारी अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं कर सकता है। जिला समुचित प्राधिकारी, गुरूग्राम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूर्णतः अवैध है, जिसे ठीक करने योग्य अनियमितता नहीं कहा जा सकता।

(ई) अत: कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कब याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने संभावना कम है, उसके अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने के लिए कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

(पैरा 30)

आशीष अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता
साथ में कार्तिक गुप्ता, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए.

नवीन श्योराण, डीएजी, हरियाणा।

अरविंद सिंह सांगवान, न्यायाधीश (मौखिक)

(1) सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर इस याचिका में प्रार्थना है शिकायत प्रकरण क्रमांक **133/2017** दिनांक 01.12.2017 को निरस्त किया जाना (अनुलग्नक पी-4), जिसका शीर्षक 'जिला समुचित प्राधिकारी, गुरूग्राम बनाम श्रीमती उषा और अन्य', धारा 23 के अंतर्गत पूर्व-गर्भाधान और नेटाल डायग्नोस्टिक तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम 1994 (संक्षेप में 'पीसी और पीएनडीटी अधिनियम' के लिए) धारा 3, 3ए, 4, 5, 6, 29 नियम 9 के तहत, और पूर्व-सभी दंडनीय हैं। सभी अनुवर्ती सहित सम्मन आदेश दिनांक सहित उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही 04.12.2017 (अनुलग्नक पी-5), ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एक डॉक्टर है, लगभग 62 वर्ष की है और अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक तकनीकें करने के लिए योग्य है और वह पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता के पास एम.डी. (मेड.) की डिग्री है और वह अपना नर्सिंगहोम पिछले लगभग 36 वर्षों से चला रहे हैं। याचिकाकर्ता पंजीकृत रेडियोलॉजिस्ट भी है।

(3) विद्वान वरिष्ठ वकील ने एक शिकायत जिला समुचित प्राधिकारी, गुरूग्राम के माध्यम से डिप्टी सिविल सर्जन-सह-पीएनडीटी नोडल अधिकारी, गुरूग्राम द्वारा उषा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दायर किया गया में यह प्रस्तुत किया है ट्रायल कोर्ट ने उन्हें नियम 9 के साथ पठित धारा 3, 3ए, 4, 5, 6, 29 पीसी और पीएनडीटी अधिनियम की धारा 23 के तहत सभी दंडनीय हैं, मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है।

(4) आक्षेपित शिकायत में स्थापित मामला यही है 12.09.2016, उप सिविल सर्जन-सह-पीएनडीटी नोडल अधिकारी झज्जर की एक टीम, सहित तीन अन्य चिकित्सा

अधिकारियों का गठन अध्यक्ष द्वारा किया गया था, डीएए-सह-सिविल सर्जन, झज्जर उषा नाम की महिला के खिलाफ एक गुप्त शिकायत की जांच करेंगे, उनके पास शिकायत आई थी कि आरोप है वह लिंग परीक्षण का अवैध रैकेट चला रही है। इस पर, शीतल पत्नी नवीन को फ़र्जी ग्राहक के रूप में काम पर लगाया गया। ग्राहक और एक कविता (ब्लॉक आशा समन्वयक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, छहरा) को छाया गवाह के रूप में कार्य करना था। उक्त छाया गवाह और फर्जी ग्राहक ने उषा को बुलाया जिसने लिंग परिक्षण फर्जी ग्राहक शीतल की गर्भावस्था के संबंध में निर्धारण रु. 30,000/- में का सौदा तय किया, और उसके बाद, वे एक कार में गुरुग्राम आए। अध्यक्ष, डीएए, गुरूग्राम को सूचित किया गया और उनसे छापेमारी का अनुरोध किया गया, जिसने डिप्टी सिविल सर्जन-सह-पीएनडीटी नोडल अधिकारी, गुरूग्राम, उप नागरिक सर्जन, गुरूग्राम और सचिव, रेड क्रॉस, गुरूग्राम, स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम, झज्जर, यानी तीन सदस्यों की एक टीम छापेमारी करने की गठित की। इसके बाद फर्जी ग्राहक को 1000 के 14 नोट और 500 के 32 नोट रुपये की कुल राशि. 30,000/-दी गई,जिसका विवरण अलग से तैयार कर याचिकाकर्ता, अल्ट्रासाउंड केंद्र मे उनके पास आया। 20 मिनट के बाद, फ़र्जी ग्राहक शीतल ने उक्त अस्पताल से बाहर आकर इसकी जानकारी दी, एक पुरुष डॉक्टर (याचिकाकर्ता) द्वारा अल्ट्रासाउंड किया गया था और बताया कि उसके पेट में एक बच्ची है। इसके बाद दोनों जिले की टीम ने फर्जी ग्राहक शीतल और छाया गवाह कविता के साथ उक्त अस्पताल में प्रवेश किया और दलाल उषा से 5,000/- रु. याचिकाकर्ता डॉ. अनिल बंसल से 25,000/- रु रुपये वसूले। शिकायत में आगे कहा गया है कि स्पॉट मेमो, सीज बरामद पैसे का मेमो, जब्ती मेमो और अन्य दस्तावेज मौके पर तैयारी की गई और पाया गया कि दोनों आरोपी अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, वर्तमान शिकायत दर्ज की गई थी।

(5) विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि यह पद 'उचित प्राधिकरण' पीसी और पीएनडीटी अधिनियम की धारा 2(ए) के तहत परिभाषित है, 'उचित प्राधिकरण' का अर्थ है धारा 17 पीसी की और पीएनडीटी अधिनियम के तहत नियुक्त एक 'उचित प्राधिकारी', जो इस प्रकार है:

> “2. परिभाषाएँ.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो आवश्यकता है,-
>
> (ए) "उचित प्राधिकारी" का अर्थ उपयुक्त है धारा 17 के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी;
>
> **17.** समुचित प्राधिकारी एवं सलाहकार समिति.-
>
> 1. केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्ति करेगी आधिकारिक राजपत्र, एक या अधिक उपयुक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए।
>
> 2. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्ति करेगी आधिकारिक राजपत्र, एक या अधिक उपयुक्त प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूरे राज्य या उसके हिस्से के लिए प्रसवपूर्व समस्या की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए लिंग निर्धारण से कन्या भ्रूण हत्या हो रही है।
>
> 3. अधिकारियों को उचित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया उपधारा (1) या उपधारा (2) होगी,—

(ए) जब पूरे राज्य या संघ क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य शामिल हैं:-

i) संयुक्त निदेशक या उससे ऊपर के पद का अधिकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अध्यक्ष;

ii) महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली एक प्रतिष्ठित महिला; और

iii) राज्य या संघ क्षेत्र के कानून विभाग का एक अधिकारी संबंधित:

बशर्ते कि यह राज्य या संघ क्षेत्र का कर्तव्य होगा बहुसदस्यीय राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश स्तर का उपयुक्त प्राधिकारी गठन करने के लिए संबंधित तीन महीने के भीतर प्रसवपूर्व निदान के लागू होने के कुछ तकनीकें (दुरुपयोग का विनियमन और रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2002:

बशर्ते कि उसमें होने वाली कोई भी रिक्ति हो उस घटना के तीन महीने के भीतर भरा जाएगा।

(बी) जब राज्य या संघ क्षेत्र के किसी भी हिस्से के लिए नियुक्त किया जाता है, राज्य सरकार या जैसे अन्य रैंक का केंद्र सरकार, जैसा भी मामला हो, उचित समझे।

4. उपयुक्त प्राधिकारी के पास निम्नलिखित होंगे कार्य, अर्थात्:-

(ए) आनुवंशिकी का, पंजीकरण प्रदान करना, निलंबित करना या रद्द करना परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला या आनुवंशिक क्लिनिक;

(बी) आनुवंशिक के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने का परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला और आनुवंशिक क्लिनिक;

(सी) इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना या उसके तहत बनाए गए नियमों की तत्काल कार्रवाई;

(डी) उपधारा (5) के तहत गठित सलाहकार समिति की पंजीकरण के लिए आवेदन पर और शिकायतों पर निलंबन के लिए या पंजीकरण रद्द करना सलाह लेना और उस पर विचार करना, ;

5. केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसे मामला हो सकता है, उपयुक्त प्राधिकारी को सहायता और सलाह देने के लिए के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करेगा, उपयुक्त प्राधिकारी अपने कार्यों के निर्वहन में , और सलाहकार के सदस्यों में से एक को नियुक्त करेगा जो समिति का अध्यक्ष होगा.

6. सलाहकार समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे- (ए) तीन स्त्री रोग विशेषज्ञों, चिकित्सा विशेषज्ञ में से प्रसूति विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा आनुवंशिकीविद्; (बी) एक कानूनी विशेषज्ञ; (सी) एक अधिकारी संबंधित विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार

या केंद्र शासित प्रदेश की सूचना और प्रचार, जैसा भी मामला हो; (डी) तीन प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता जिनमें से कम से कम एक कार्यकर्ता महिला संगठनों के प्रतिनिधि बीच से होगा.

7. कोई भी व्यक्ति जो प्रसवपूर्व निदान तकनीक को बढ़ावा देना या लिंग का निर्धारण या लिंग चयन के उपयोग से जुड़ा नहीं है, सलाहकार समिति के सदस्य रूप में नियुक्त किया जाएगा.

8. सलाहकार समिति की बैठक जब भी उचित समझे या उपयुक्त प्राधिकारी के अनुरोध पर पंजीकरण या अन्य किसी आवेदन पर विचार, पंजीकरण के निलंबन या रद्दीकरण के लिए शिकायत और उस पर सलाह देने के लिए हो सकती है:

बशर्ते कि किसी दो बैठकें के बीच की अवधि निर्धारित अवधि से अधिक नहीं होंगी।

9. वे नियम एवं शर्तें जिनके अधीन कोई व्यक्ति सलाहकार समिति में नियुक्त किया जा सकता है,इसके कार्यों का निर्वहन समिति द्वारा जैसा संभव हो और ऐसी अपनाई जाने वाली निर्धारित प्रक्रिया वैसी ही होगी।"

(6) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया है कि धारा 17 के अनुसार, राज्य सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, संपूर्ण या आंशिक रूप से एक या अधिक उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है धारा 17 की उपधारा 4 के अनुसार, राज्य और उपयुक्त प्राधिकारी, पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायत पर जांच सहित विभिन्न कार्य करता है बशर्ते आगे यह है कि धारा 6 के अनुसार, सलाहकार समिति तीन चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञों में से प्रसूति रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और चिकित्सा आनुवंशिकीविद् और एक कानूनी संबंधित विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेषज्ञ और एक अधिकारी राज्य सरकार एवं तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूचना एवं प्रचार-प्रसार सामाजिक कार्यकर्ता।

(7) विद्वान वरिष्ठ वकील ने अधिसूचना दिनांक 07.11.2013 (अनुलग्नक पी-3), स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी का हवाला दिया है ने धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीसी और पीएनडीटी की धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (बी) के साथ पढ़ा अधिनियम, ने जिले के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त किया है इसमें जिला कार्यक्रम कार्यालय के अध्यक्ष के रूप में सिविल सर्जन शामिल हैं महिला एवं बाल विकास विभाग एवं जिला न्यायवादी के रूप में प्राधिकरण के सदस्य.

(8) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे का उल्लेख किया है अधिसूचना के संदर्भ, जिस में जिला गुरुग्राम में डॉ. बी.के. राजोरा, डीएए, गुरुग्राम के अध्यक्ष और सिविल सर्जन गुरुग्राम हैं, धर्मेंद्र राणा, जिला अटॉर्नी गुरुग्राम होने के नाते डीएए के सदस्य हैं, और सुनीता शर्मा कार्यक्रम अधिकारी (डब्ल्यूसीडी), गुरुग्राम डीएए की सदस्य भी हैं।

(9) विद्वान वरिष्ठ वकील ने उस प्रक्रिया को आगे प्रस्तुत किया पीसी और पीएनडीटी के नियम 12 के तहत तलाशी और जब्ती का प्रावधान है नियम, 1996 को पीसी और पीएनडीटी अधिनियम की धारा 30(2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए अभिलेखों की तलाशी लेने तथा उन्हें जब्त करने आदि की शक्ति को कम करना नियम 12 नीचे पुनरुत्पादित है:

"12. तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया.-

....

(ए) आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग सेंटर में पाई गई, किसी दस्तावेज़, रिकॉर्ड, रजिस्टर, पुस्तक, पैम्फलेट की एक सूची, विज्ञापन या कोई अन्य भौतिक वस्तु को जब्त कर लिया गया प्रभावी और होने के स्थान पर दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा। ऐसी सूची की दोनों प्रतियों पर प्रत्येक पर उपयुक्त प्राधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा पृष्ठ इस संबंध में और जब्ती के गवाहों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे :

बशर्ते कि गवाहों की उपस्थिति में सूची तैयार की जा सके, जब्ती प्रभावी होने के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर यदि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से सूची बनाना व्यावहारिक नहीं है।

(बी) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूची की एक प्रति उस व्यक्ति को पावती के तहत सौंप दिया जाए जिसकी हिरासत में दस्तावेज़, रिकार्ड, रजिस्टर, किताब, पैम्फलेट, विज्ञापन या कोई अन्य भौतिक वस्तु हो जब्त कर लिया गया है।

बशर्ते कि ऐसे दस्तावेज़, रिकॉर्ड की सूची की एक प्रति, रजिस्टर, पुस्तक, पुस्तिका, विज्ञापन या अन्य सामग्री जब्त की गई वस्तु पावती के तहत वितरित की जा सकती है, या यदि कोई व्यक्ति दस्तावेज़, रिकार्ड, रजिस्टर की अभिरक्षा पुस्तक, पुस्तिका, विज्ञापन या अन्य भौतिक वस्तु जब्ती के स्थान पर उपलब्ध नहीं है पंजीकृत डाक द्वारा आनुवंशिक परामर्श केंद्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक और इमेजिंग सेंटर मालिक या प्रबंधक को भेजा जा सकता है"

(10) इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि यह अनिवार्य है कि केवल 'उचित प्राधिकारी' ही पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में एक शिकायत की जांच संचालन के लिए अधिकृत है.

(11) विद्वान वरिष्ठ वकील ने धारा के तहत आगे प्रस्तुत किया पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 के द्वारा किसी अपराध का संज्ञान 'उचित प्राधिकारी' या राज्य द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लिया जा सकता है । धारा 28 इस प्रकार है:

"28. अपराधों का संज्ञान:-

1. कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी सिवाय निम्न द्वारा की गई शिकायत के।

(ए) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी, या कोई अधिकारी केंद्र सरकार या राज्य द्वारा इस संबंध में अधिकृत सरकार, जैसा भी मामला हो, या उपयुक्त अधिकारी ; या

(बी) एक व्यक्ति जिसने उपयुक्त प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से कथित अपराध और ऐसा करने का उसका इरादा अदालत में शिकायत का कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस दिया हो.

स्पष्टीकरण.-इस खंड के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" इसमें एक सामाजिक संगठन भी शामिल है।”

(12) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया है कि शिकायतकर्ता या अधिकारी, जिन्होंने धारा 30 के प्रावधानों के तहत तलाशी ली है और जब्ती का उचित अधिकारी नहीं है।

(13) आगे यह तर्क दिया गया है कि उपयुक्त प्राधिकारी, झज्जर जिला गुरूग्राम में कार्रवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और केवल उपयुक्त प्राधिकारी, गुरूग्राम के पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र है।

(14) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि भले ही ऐसा हो उचित प्राधिकारी, झज्जर द्वारा तर्क के लिए लिया गया गुरूग्राम में कार्य करने का अधिकार क्षेत्र उपयुक्त संविधान है प्राधिकरण पीसी एवं पीएनडीटी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं था उपरोक्त अधिसूचना के अनुरूप ही कार्यवाही करें।

(15) विद्वान वरिष्ठ वकील ने कार्यालय आदेश दिनांक 12.09.2016 (अनुलग्नक पी-6) का हवाला दिया है, जिसकी स्थानीय भाषा में एक फोटोकॉपी है कोर्ट में मार्क 'ए' के रूप में रिकॉर्ड पर लिए जाने से पता चलता है कि इस पर केवल अध्यक्ष, डीएए-सह-सिविल सर्जन, झज्जर और सदस्य, डीएए-सह- जिला अटॉर्नी, झज्जर ने हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि सदस्य, डीएए-सह-डीपीओ (डब्ल्यूसीडी), झज्जर ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इसलिए उपयुक्त प्राधिकारी का गठन ही पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधान इसके अनुरूप नहीं था।

(16) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे यहां तक तर्क दिया है कि उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 12.09.2016 जिला समुचित प्राधिकारी-सह-सिविल सर्जन, गुरूग्राम के हस्ताक्षर से जारी किया गया, तीन सदस्यीय टीम की नियुक्ति करना पूर्णतया उचित नहीं है अकेले सिविल सर्जन के रूप में उपयुक्त प्राधिकारी, गुरूग्राम तीन सदस्यों की एक टीम गठित करने के लिए सक्षम नहीं है।

(17) विद्वान वरिष्ठ वकील ने वर्तमान याचिका के पैरा 18 का हवाला दिया है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा एक विशिष्ट दलील दी गई है झज्जर एवं गुरूग्राम के समुचित प्राधिकारी का गठन किया गया पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, डिप्टी सिविल सर्जन-सह-पीएनडीटी नोडल अधिकारी, गुरूग्राम के हलफनामे के माध्यम से दाखिल जवाब किया गया, यह तथ्य विवादित नहीं है, बल्कि कहा गया है तात्कालिकता के कारण, अध्यक्ष, जिला समुचित प्राधिकारी, झज्जर ने टीम का गठन किया.

(18) विद्वान वरिष्ठ वकील ने अगला तर्क दिया है कि आक्षेपित शिकायत में उल्लेख किया गया है तलाशी और जब्ती करते समय कोई भी उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है जब की पैरा 7 में, यह कहा गया है कि पीएनडीटी टीम ने एक 'स्पॉट मेमो' और 'सीज़्योर मेमो' तैयार किया, जिसके जरिए अल्ट्रासाउंड मशीन व पीएनडीटी रजिस्टर, फार्म 'एफ', कथित तौर पर याचिकाकर्ता से बरामद 25,000/- रुपये और रु.5,000/-, दलाल उषा से कब्जे में ले लिए गए हालाँकि बिना फॉलो किये पीसी

की धारा 30 के साथ पठित नियम 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया एवं पीएनडीटी अधिनियम के तहत तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की गई।

(19) विद्वान वरिष्ठ वकील ने उपरोक्त नियम 12 का उल्लेख किया है, जिसमें यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि नियम 12(3) के तहत घटना के स्थान पर एक गवाह की उपस्थिति में सूची तैयार की जा सकती है और, ऐसी सूची की प्रति उस व्यक्ति को सौंप दी जानी चाहिए जिससे अभिरक्षा, रिकार्ड रजिस्टर, किताब आदि जब्त कर लिया गया है। यह तर्क आगे दिया है कि यद्यपि शिकायत में उल्लेखित है कि स्पॉट मेमो एवं मौके पर जब्ती ज्ञापन तैयार किया गया था, हालांकि, शिकायत में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता को कभी भी दी गई थी.

(20) विद्वान वरिष्ठ वकील ने अगला तर्क दिया है कि शिकायत में आरोपों के अनुसार कहा गया है कि फर्जी ग्राहक, 20 मिनट्स के बाद क्लीनिक से बाहर आकर बताया कि एक पुरुष डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड किया है और उसके बाद जब टीम क्लिनिक के अंदर गई, उन्होंने दलाल उषा से 5,000/- रु. याचिकाकर्ता डॉ. अनिल बंसल से 25,000/- रुपये वसूले। बरामद किए गए करेंसी नोटों के पहचान की कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, इसलिए करेंसी नोटों का पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से पालन नहीं किया गया है।

(21) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के तहत कानून का सिद्धांत में यह अच्छी तरह से तय हो गया है अधिकारी न तो न्यायालय के समक्ष शिकायत दाखिल कर सकते हैं और न ही अपनी शक्ति दूसरों को सौंपने करने के लिए अधिकृत करें। और यह अनिवार्य है कि शिकायत जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा दायर किया जाना चाहिए जबकि उपस्थित तीन सदस्यीय समिति के हस्ताक्षर हो। जबकि शिकायत नोडल अधिकारी के माध्यम से दर्ज कराई गई है और वह भी वैध नहीं है अत: प्राधिकार पत्र दिनांक 29.11.2017(अनुलग्नक पी-9) द्वारा जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी को शक्तियाँ सौंपना, स्पष्ट रूप से अवैध है।

(22) विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस कोर्ट के निर्णय पर भरोसा किया है जो सीआरएम-एम**-21764-2015** में प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक डॉ.रितु प्रभाकर और वगैरह बनाम हरियाणा राज्य और वगैरह, 03.06.2016 पर निर्णय लिया गया, जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

> “31. मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दायर शिकायत वैध स्थापित नहीं है. शिकायत का पैराग्राफ 1 कहता है जिले के लिए एक उपयुक्त प्राधिकारी का गठन जिसमें तीन अधिकारी अर्थात अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य शामिल हैं; लेकिन शिकायत के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है उस पर केवल चेयरपर्सन द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए हैं यह साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि बाकी दो सदस्य उपयुक्त प्राधिकारी ने या तो हस्ताक्षर किए हैं या चेयरपर्सन याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकृत किए हैं. पीसी एवं पीसी की धारा 28 के प्रावधान और पीएनडीटी अधिनियम मानता है कि कोई भी अदालत इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, को छोड़कर संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा की गई शिकायत, या केंद्र द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी अधिकारी सरकार या राज्य सरकार और संबंधित भाग अधिनियम की धारा 28 इस प्रकार है:-

(1) कोई भी न्यायालय इसके तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई को छोड़कर

(ए) संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी, या कोई अधिकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत, जैसा भी मामला हो, या उपयुक्त अधिकार; या

(बी) एक व्यक्ति जिसने उपयुक्त प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से कम से कम पंद्रह दिन का नोटिस दिया हो, कथित अपराध और ऐसा करने का उसका इरादा अदालत में शिकायत।"

वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने स्वीकार किया है दिनांक 7 नवंबर 2013 को अधिसूचना जारी करते हुए, अनुलग्नक पी-15 ने जिले के लिए समुचित प्राधिकारी का गठन किया है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी शामिल हैं:-

"i) सिविल सर्जन अध्यक्ष

ii) जिला कार्यक्रम सदस्य अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग।

iii) जिला अटॉर्नी सदस्य"

मौजूदा मामले में, शिकायत पर केवल सिविल सर्जन इसके अध्यक्ष होने का दावा कर रहे हैं उपयुक्त प्राधिकारी के हस्ताक्षर किए गए थे और इस संबंध में एक विशिष्ट आधार याचिका के पैरा 6(एल) के तहत और साथ ही साथ लिया गया है बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से इस न्यायालय के समक्ष एक याचिका भी दायर की गई, इस आशय की शिकायत की इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की कमी के कारण वैध रूप से स्थापित किया गया, उपयुक्त के अन्य दो सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर अधिकार, यह याचिका कायम करने योग्य नहीं है

यहां तक कि प्रतिवादियों की ओर से दाखिल जवाब में भी याचिका के पैरा 6(एल) में दिए गए कथनों को अस्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि इसे निम्नलिखित शर्तों में स्वीकार किया गया है: -

"याचिका के पैरा 6 के भाग एल के जवाब में, यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सिविल सर्जन डी.ए.ए. का अभिन्न अंग है। और डीएए की सलाह के रूप में राय पर काम किया है जो उसे शिकायत दर्ज करें और उसकी कार्यवाही के लिए सक्षम और अधिकृत व्यक्ति बनाता है।

इस प्रकार, न तो शिकायत में और न ही उत्तरदाताओं द्वारा दायर उत्तर में या बहस के दौरान ऐसा हुआ है इस न्यायालय के ध्यान में लाया गया कि कोई है के विरुद्ध वर्तमान शिकायत दर्ज करने का प्राधिकार धारा 28 के प्रावधानों के अनुरूप याचिकाकर्ताओं पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के नतीजतन, इस बिंदु पर कि क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत वैध रूप से स्थापित की गई है या नहीं, यह न्यायालय इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शिकायत केवल डॉ. इंद्रजीत धनखड़ द्वारा हस्ताक्षरित और दायर की गई है, चेयरपर्सन खुद को जिला उपयुक्त बता रहे हैं

प्राधिकारी (पीएनडीटी)-सह-सिविल सर्जन, पानीपत एवं अन्य दो सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं इसलिए स्थिति जस की तस है की पीसी और पीएनडीटी अधिनियम धारा 28 के अनुरूप वैध रूप से स्थापित नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, यह माना जाता है कि शिकायत नीचे दिए गए तरीके पीसी और पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 से स्थापित नहीं की गई है और परिणामस्वरूप संपूर्ण कार्यवाही कानूनन अवैध होने के कारण दूषित हो गई है। हालाँकि, इस मुद्दे की जांच दोनों नीचे के माननीय न्यायालय द्वारा नहीं की गई है इसकी वास्तविक संभावना में, जैसे कि इसके परिणामस्वरूप न्याय की महान् हत्या हुई।

32. उत्तरदाताओं की ओर से तर्क है कि याचिकाकर्ताओं का अभियोजन पूरी तरह से केंद्र के मद्देनजर पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के पैरामीटर शासन का पत्र दिनांक 09.10.2014 (परिशिष्ट पी-11) इसके अंतर्गत आता है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इसके लिए परामर्श टिकाऊ नहीं है उत्तरदाता नीचे इंगित करने में बुरी तरह विफल रहे हैं यह पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का कौन सा प्रावधान है बशर्ते कि इसे प्राप्त करना याचिकाकर्ताओं के लिए अनिवार्य था उनका क्लिनिक आईवीएफ के उद्देश्य से अलग से पंजीकृत है केंद्र द्वारा दिशा निर्देश जारी करने पर ही सुविधाएं शासन दिनांक 9 अक्टूबर 2014 (अनुबंध पी-11)। अन्यथा भी यदि मामले की जांच की जानी है इस बात पर विचार करें कि क्या इन दिशानिर्देशों में कानून की कोई शक्ति है या हो सकती है पीसी और पीएनडीटी अधिनियम का हिस्सा माना जाए या नहीं, तो पीसी और पीएनडीटी अधिनियम की धारा 31-ए के प्रावधान प्रासंगिक को सेवा में दबाया जा सकता है और इसे इस प्रकार पढ़ा जा सकता है अंतर्गत:-

> “31-ए. कठिनाइयों का निवारण. (1) यदि कोई कठिनाई हो प्रसवपूर्व के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में उत्पन्न होता है निदान तकनीक (विनियमन और रोकथाम) दुरुपयोग) संशोधन अधिनियम, 2002, केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कर सकता है ऐसे प्रावधान के प्रावधानों से असंगत नहीं हैं उक्त अधिनियम उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है कठिनाई को दूर करने के लिए.

बशर्ते कि इसके बाद इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा की तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति प्रसव पूर्व निदान तकनीक की शुरूआत (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2002.

(2) इस धारा के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को प्रत्येक संसद सदन के समक्ष इस प्रकार रखा जाएगा इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके,।"

धारा 31-ए का अवलोकन यहाँ ऊपर स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है पता चलता है कि इस धारा के तहत कोई आदेश नहीं दिया जाएगा

2002 के संशोधन अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार (2003 का 14) अर्थात 14.02.2003। निर्विवाद रूप से दिशा निर्देश दिनांक 9 अक्टूबर 2014 (पी-11) अवधि के बाद जारी किये गये हैं संशोधन अधिनियम 2002 के तीन वर्ष और फलस्वरूप इसे कार्यवाही करते समय जारी नहीं किया जा सकता। प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता केंद्र सरकार द्वारा शक्तियां धारा 31-ए का और पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के अभियोजन के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार इसका हिस्सा नहीं बन सकता.

33. अन्यथा भी अनुच्छेद 20(1) भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, (जिसके अंतर्गत स्थान मिलता है भाग-III, मौलिक अधिकार), लागू क़ानून के उल्लंघन को छोड़कर किसी भी अपराध का अपराधी के रूप में आरोपित अधिनियम के घटित होने का समय किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन वर्तमान मामले में उत्तरदाता बुरी तरह विफल रहे हैं प्रमाणित करें कि याचिकाकर्ताओं ने किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया है पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट के तहत केवल अपना क्लिनिक चला रहे हैं जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत पंजीकृत किया गया था।

34. नतीजतन, इस न्यायालय की राय है कि दिशानिर्देश दिनांक 9 अक्टूबर 2014 (अनुलग्नक पी-11) केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए के तहत याचिकाकर्ता के दायित्व को समाप्त और अभियोजन का सामना करने करने का कोई परिणाम नहीं है याचिकाकर्ताओं का दायित्व पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम का प्रावधान अच्छी तरह से स्थापित है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि आवेदन करते समय एवं किसी क़ानून के प्रावधानों की व्याख्या करना जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक परिणाम होता है, तो वही सख्ती से और उदारता से नहीं माने जाएंगे.

35. यहां ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं उपलब्ध है उत्तरदाताओं ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने केवल अल्ट्रा साउंड सेंटर चलाने से, जिसे उचित समय पर विधिवत पंजीकृत किया गया और आईवीएफ सुविधाएं प्रदान की गई किसी भी प्रावधान पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम का उल्लंघन किया है।

परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं का आरोप है कि निरीक्षण दल ने याचिकाकर्ताओं की विसंगतियां उजागर की हैं उन्होंने पीसी और पीएनडीटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया है याचिकाकर्ताओं द्वारा अपना आईवीएफ सेंटर चलाना गलत है और अस्वीकार किये जाने योग्य है वर्तमान याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाना और इसके साथ आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं है और वह भी निरस्त किये जाने योग्य है।"

(23) विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उपरोक्त संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय को बरकरार रखा गया है। एसएलपी **(सीआरएल) 17069/2016**, आदेश दिनांक 11.11.2016 द्वारा, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

"विलंब क्षमा किया गया।

चूंकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ऐसा नहीं कर सके इस न्यायालय को प्रदर्शित करें कि शिकायत किसके द्वारा दायर की गई थी की धारा 28 के तहत संबंधित समिति ने विचार किया गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीकें (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, यथासंशोधित 2002 (संक्षिप्त रूप से "पीसी और पीएनडीटी अधिनियम"), हमें कोई औचित्य नहीं मिला द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उच्च न्यायालय, अनुच्छेद के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 136.

तदनुसार विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।”

(24) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि उसके बाद, एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसे भी माननीय ने ख़ारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा याचिका में दिनांक 01.02.2017 को आदेश पारित किया **(Crl.) 2017** की संख्या **32**। आदेश इस प्रकार है:

“याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल याचिका दायर की गई है इस न्यायालय के दिनांक 11.11.2016 के आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए,जिसके तहत उनके द्वारा विशेष अनुमति याचिका बर्खास्त की गई थी .

पुनर्विचार याचिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद आक्षेपित कागजात उसके समर्थन में संलग्न करने का आदेश दिया गया, हम संतुष्ट हैं कि उपरोक्त आदेश की समीक्षा हेतु याचिकाकर्ता मामला बनाने में विफल रहे हैं।

तदनुसार, समीक्षा याचिका खारिज कर दी गई।”

(25) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे दिनांकित 12.09.2018 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया, जिससे एक उपचारात्मक याचिका **(**सीआरएल**)** संख्या **90/2017** आर.पी. **(**सीआरएल**)** में संख्या **32/2017** एसएलपी **(**सीआरएल**)** में क्रमांक **8887/2016** को निम्नलिखित आदेश पारित कर खारिज किया गया।

“हम क्यूरेटिव पिटीशन और प्रासंगिक दस्तावेज़ अवलोकन कर लिया है। इस न्यायालय के 'रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य,रिपोर्ट की गई 2002 में (4) एससीसी 388' में के निर्णय में दर्शाए गए मापदंडों के भीतर हमारी राय में कोई मामला नहीं बनता है

इसलिए, क्यूरेटिव याचिका खारिज की जाती है।”

(26) विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे फैसले का हवाला दिया है दिनांक 02.11.2017 को इस न्यायालय द्वारा **2015** के सीडब्ल्यूपी संख्या **11171** में पारित किया गया, जिसका शीर्षक ईश्वर सिंह यादव बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य है। 02.11.2017 को निर्णय लिया गया, जिसमें पारित आदेश को चुनौती दी गई थी सिविल सर्जन-सह-जिला समुचित प्राधिकारी निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को कुछ निर्देश जारी कर रहे हैं सिविल सर्जन-सह-जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश किया गया जिस को चुनौती दी गई थी, आधार यह है कि सिविल सर्जन अकेले जिला उपयुक्त के रूप में कार्य नहीं कर सकता है प्राधिकरण दिनांक 07.11.2013 की अधिसूचना (संदर्भित) का उल्लंघन कर

रहा है उपरोक्त), जो एक उपयुक्त जिला के गठन अधिकार का प्रावधान करता है। सिविल सर्जन-सह-जिला के आदेश को रद्द करते हुए उपयुक्त प्राधिकारी, इस न्यायालय ने निम्नानुसार माना:

> “चाहे जो भी हो, तथ्य तो यही है कि ऐसा कुछ नहीं है प्रत्यायोजित करने के लिए अधिनियम या नियमों के अंतर्गत प्रावधान जिला उपयुक्त के सदस्यों द्वारा शक्तियां प्राधिकरण, इसलिए, दूसरे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया जिला समुचित प्राधिकारी के सदस्य पूरी तरह से हैं गैरकानूनी। यदि उन्हें अपनी शक्तियाँ सिविल को सौंपनी पड़ी सर्जन ऐसा हो तो गठन की कोई जरूरत नहीं तीन सदस्यों की समिति जो वास्तव में बनाई गई है ताकि एक सदस्य मनमाना आदेश पारित न कर सके और सभी निर्णय मन के मिलन से लिये जाते हैं।
>
> यह अधिनियम की योजना नहीं है क्योंकि अधिनियम प्रदान करता है कि सभी निर्णय जिले को लेने होंगे समुचित प्राधिकारी एवं सिविल सर्जन नहीं रहे हैं कोई विशेष शक्ति दी गई। इस प्रकार अन्य दो प्रश्न हैं याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, यह मानते हुए कि सिविल सर्जन स्वयं जिला उपयुक्त के रूप में कार्य नहीं कर सकते प्राधिकारी के रूप में निर्णय जिला द्वारा लिया जाना है उपयुक्त प्राधिकारी जिसमें तीनों सदस्य हों लिप्त होना। चूंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कार्यवाही के दौरान न्यायालय को दिखाए गए अधिनियम या नियम इस संबंध में सुनवाई करते हुए अत: पत्र दिनांक 15.9.2015 जिसे अन्य दो सदस्यों ने प्राधिकरण सौंप दिया है सिविल सर्जन गलत एवं अवैध है।
>
> परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है और आदेश दिनांकित 01.5.2015 किया जाता है सिविल सर्जन-सह-जिला द्वारा पारित उपयुक्त प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से अवैध माना जाता है और वही रद्द किया गया है।"

(27) इस प्रकार, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि चूंकि दोनों पीएनडीटी टीमों के गठन के आदेश संबंधित झज्जर और गुरुग्राम के जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए गए थे इसलिए, याचिकाकर्ता का संपूर्ण अभियोजन रद्द किये जाने योग्य है।

(28) जवाब में, विद्वान राज्य वकील ने तर्क दिया है कि गुप्त सूचना प्राप्त होने पर सह अभियुक्त उषा जो कि एक दलाल के रूप में कार्यरत थी लिंग परीक्षण का अवैध रैकेट चला रही थी शीतल को फर्जी ग्राहक बनाया गया और कविता को छाया गवाह बनाया गया और उसके बाद, उन्हें अल्ट्रासाउंड केंद्र में ले जाया गया, जिससे याचिकाकर्ता ने अल्ट्रासाउंड किया फर्जी ग्राहक शीतल से याचिकाकर्ता ने 25,000/- रु रुपये और दलाल उषा 5,000/- रुपये प्राप्त किए और परीक्षण आयोजित होने के बाद, पी.एन.डी.टी. टीम याचिकाकर्ता के साथ-साथ उषा दलाल से भी उक्त राशि वसूल की गई.

(29) विद्वान राज्य वकील ने आगे कहा कि सबसे पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया गया जिला समुचित प्राधिकारी के रूप में सह-सिविल सर्जन, झज्जर ने एक टीम का गठन किया, अध्यक्ष, डीएए-सह-सिविल सर्जन, गुरुग्राम, जिसने संपर्क किया जिन्होंने एक टीम का गठन भी किया, टीम ने झज्जर टीम की सहायता की और उसके बाद छापेमारी की गई। हालाँकि, विद्वान राज्य वकील, पैरा 8 में प्रस्तुतियाँ के संदर्भ में प्रतिवादी की ओर से दायर उत्तर में, इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि अध्यक्ष, डीएए, झज्जर ने तात्कालिकता के कारण केवल दो सदस्यों के हस्ताक्षर एक

टीम का गठन किया. उत्तर में यह भी विवादित नहीं है अध्यक्ष, डीएए, गुरूग्राम द्वारा गठित टीम केवल सिविल सर्जन का हस्ताक्षर अधीन थी के बल्कि तीनों सदस्यों कमिटी नहीं है। उत्तर के पैरा 32 में, जिसमें, संबंधित पैरा में याचिका में कहा गया है कि स्पॉट मेमो या जब्ती की कोई प्रति नहीं है याचिकाकर्ता को मेमो उपलब्ध कराया गया था, हालांकि यह हलफनामे में कहा गया है , गुरुग्राम टीम ने स्पोर्ट मेमो और सीजर मेमो तैयार किया, हालांकि याचिकाकर्ता को शर्तों के अनुसार उपरोक्त नियम 12(3) के आपूर्ति की गई थी या नहीं कुछ भी नहीं बताया गया है.

(30) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मुझे वर्तमान याचिका में इसमें निम्नलिखित कारणों से योग्यता नजर आई :

(ए) दिनांक 12.09.2016 के पत्र का अवलोकन, जो कि डीएए-सह-सिविल सर्जन द्वारा पीएनडीटी टीम, झज्जर का अध्यक्ष बनता है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस पर दो सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और तीसरे सदस्य यानी, डीएए-सह- डीपीओ (डब्ल्यूसीडी), झज्जर सदस्य द्वारा नहीं इसलिए, द्वारा इस पर वैध रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। धारा 17 पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के अनुसार जिला समुचित प्राधिकारी का गठन किया।

(बी) दिनांक 12.09.2016 को अध्यक्ष, डीएए-सह-सिविल सर्जन, गुरुग्राम द्वारा जारी एक अन्य आदेश का भी अवलोकन करें, तीन सदस्यीय पीएनडीटी टीम की नियुक्ति से पता चलता है कि यहाँ उनके एकमात्र हस्ताक्षर से किया गया है, अन्य दो सदस्य उप सिविल सर्जन-सह-पीएनडीटी नोडल अधिकारी गुरुग्राम द्वारा नहीं, उत्तर/शपथ पत्र में यह तथ्य विवादित नहीं है। इसलिए, डॉ. रितु प्रभाकर मामला (सुप्रा) मामले में फैसले के मद्देनजर, पूरी प्रक्रिया कायम है यह दोनों जिलों उपयुक्त प्राधिकारी की ओर से हुई चूक के रूप में खराब हुआ नीरुपाय दोष है.

(सी) इसके अलावा, धारा 30 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम नियम 12 के साथ पठित होना अनिवार्य है यदि स्पॉट और जब्ती मेमो स्थान par उन व्यक्तियों से जिनसे वसूली की जाती है तैयार किया गया हो तो उन की प्रतियां उपलब्ध कराएं, हालाँकि, आक्षेपित शिकायत का अवलोकन और साथ ही कोर्ट में दाखिल जवाब से कहीं नहीं पता चलता कि यह प्रक्रिया थी और उन का पालन किया गया और टीम द्वारा तैयार की गई सूची की एक प्रति याचिकाकर्ता को कभी भी आपूर्ति की गई थी, यद्यपि पैरा 7 में शिकायत में कहा गया है कि स्पॉट और जब्ती मेमो मौके पर तैयार किया गया थे लेकिन याचिकाकर्ता को उसकी एक प्रति कभी नहीं दी गई. यह शिकायतकर्ता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को भी दूषित करता है.

(डी) प्रावधानों के अनुसार, जिला समुचित प्राधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की जानी है, जिसमें तीन सदस्य होते हैं, जबकि आक्षेपित शिकायत जिला नोडल अधिकारी द्वारा दायर की जा चुकी है। यह न्यायालय द्वारा भी आयोजित किया जाता है ईश्वर सिंह यादव का मामला (सुप्रा) कि जिला उपयुक्त प्राधिकारी अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं कर सकता, इसलिए, जिला उपयुक्त प्राधिकरण, गुरूग्राम द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पूर्णतः अवैध है, इसे इलाज योग्य अनियमितता कहा गया है जो नहीं हो सकता।

(ई) इसलिए, कानून के सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब याचिकाकर्ता को दोषी ठहराए जाने की संभावना कम हो, अभियोग पक्ष को उसे जारी रखने की अनुमति देने का उद्देश्य पूरा नहीं किया जाएगा।

(31) अत: उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है याचिका स्वीकार की जाती है और विवादित शिकायत (अनुलग्नक पी-4), उसके बाद उत्पन्न होने वाली सभी कार्यवाहियों सहित याचिकाकर्ता की योग्यता (अनुलग्नक पी-5) सम्मन आदेश दिनांक 04.12.2017 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है

जे.एस. मेहंदीरत्ता

अस्वीकरण -

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देशयो के लिए निर्णय का अंगरेजी संस्करन प्रमानिक होगा और निष्पादन कार्यवयन के उद्देशय के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रवीण गुप्ता